

**न्यायालय, जिला लोकपाल,
मनरेगा
समाहणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार**

सन्दर्भ :- वाद संख्या 04/2017-18
पंचाट/अधिनिर्णय

दिनांक 18.11.2017

प्रस्तुत परिवाद संख्या 04/2017-18 हुसैनाबाद ग्रामीणों, प्रखंड-अरियरी, जिला-शेखपुरा से संबंधित है।

बनाम

मुखिया और मनरेगा कर्मचारियों के विरुद्ध दायर परिवाद है, परिवादियों का कथन है कि मनरेगा में भ्रष्ट मुखिया के इशारों पर कामों की हेरा-फेरी के संबंध में विस्तृत शिकायत में कुछ वर्षों के अंतर्गत कुल 54 योजनाओं के क्रियान्वित से संबंधित है।

आरोपों की जाँच :-

- वाद संख्या 04, को मेरे समक्ष लाया गया और मेरे द्वारा दिनांक 02.11.2017 को कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड-अरियरी, जिला-शेखपुरा से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके उपरांत 11.11.2017 को कार्यक्रम पदाधिकारी ने योजना स्थल जाँच के दौरान पता करने पर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला बताया है और इससे संबंधित संख्या PIL No. CWJC No. 15634/2017 है।
- प्रथम पक्षों में ग्रामीण परिवादियों में कुल चार लोगों से अलग-2 पत्रांक संख्या से दिनांक 02.11.2017 को योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पूछा गया तब कुछ तीन लोगों ने अपना पक्ष निम्न तथ्यों को अपने आवेदन में दिया है।
 - (क) ये 25 से 30 बार शिकायत किसी न किसी विभाग को लिखकर देते रहें हैं।
 - (ख) आवेदनों में अंगूठे एवं हस्ताक्षरों के पहचान सुनिश्चित करने के लिए बोला गया तब लोगों ने लिखकर दिया कि सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है।
 - (ग) इनलोगों द्वारा बताया गया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
- मेरे द्वारा शिकायत प्राप्त के दौरान शिकायत के प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) में योजनाओं की जाँच की गई तब लगभग 20 प्रतिशत योजनाएँ मनरेगा से संबंधित नहीं पाया गया।

पंचाट/अधिनिर्णय :-

वाद संख्या हुसैनाबाद ग्रामीणों द्वारा दिया गया आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा वाद संख्या CWJC-15634/2017, dated 03.10.2017 के अंतर्गत विचाराधीन देखते हुए इस दायर परिवाद को खारिज किया जाता है।

निष्पादित दिनांक 18.11.2017।



ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल
(मनरेगा),
शेखपुरा (बिहार)

ज्ञापांक 25/10/10/2017-18

दिनांक 18.11.2017

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी-सह-कार्यक्रम समन्वयक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला समन्वयक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध के साथ प्रेषित है कि पंचाट की प्रति जिले के वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

ई0 पंकज सिन्हा,
जिला लोकपाल
(मनरेगा),
शेखपुरा (बिहार)